न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/01/2025	2025/135	03.062025	23.02.2026

1—रूजदार पुत्र रहमान जाति मेव

2—अलमास पुत्र साहून जाति मेव

3—तोफीक खान पुत्र मुस्ताक जाति मेव निवासीयान ग्राम चौकी तहसील रामगढ जिला अलवर राज.

—प्रार्थीगण

बनाम

1—रतनलाल पुत्र कल्लूराम जाति जाटव निवासी ग्राम गोहा

2—बुद्वि पुत्र किशोरी जाति चमार निवासी गोहा

3—ममबालाराम पुत्र किशोरी जाति चमार निवासी गोहा

4—कमला पत्नी स्व. सम्पत पुत्रवधु किशोरी जाति चमार

5—नेताराम पुत्र स्व0 सम्पत पोत्र किशोरी जाति चमार

6—राजेंद्र पुत्र स्व0 संपत पोत्र किशोरी जाति चमार

7—जनक पत्नी स्व० नन्नू पुत्रवधु किशोरी

8—सूरज पुत्र स्व. नन्नू पोत्र किशोरी

9—कमलेश पत्नी स्व. सुरेश पुत्रवधु न बालाजी राम जाति चमार निवासी ग्राम गोहा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज।

10—भू आंवटन सलाहकार समिति जर्ये अध्यक्ष तहसीलदार रामगढ जिला अलवर राज.

11—भू आंवटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी स अलवर हाल रामगढ जिला अलवर राज.

—अप्रार्थीगण

उज्रदारी अन्तर्गत नियम 14(4) लैण्ड एक्ट
भू आवंटन अधिनियम 1970

उपस्थितः—

01—श्री देवेन्द्र कुमार जैन —वकील प्रार्थी

02—श्री ओमानन्द चौधरी —वकील अप्रार्थी संख्या 01

03—श्री चन्द्रवीर सिंह —वकील अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 9

04—श्री दीपक मीणा —पैरोकार सरकार

—:निर्णयः—

वकील प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भू—आवंटन अधिकारी रामगढ़ भूमि आवंटन आदेश दिनांक 01.09.1975 जिसके द्वारा अप्रार्थी किशोरी पुत्र छुट्टन जाति चमार गोहा के पक्ष में ग्राम पंचायत खिलोरा तह0 रामगढ़ की आराजी गत आराजी

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

खसरा न0 121 मिन 05 बीघा हाल आराजी खसरा न0 238 रकबा 0.63 है0, 239 रकबा 0.62 है0 भूमि का आंवटन गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 के पिता के नाम किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 238 रकबा 63 ऐयर, 239 रकबा 62 ऐयर, साबिक खसरा नम्बर 121/257 रकबा 5 बीघा ग्राम चौकी तहसील रामगढ जिला अलवर मे स्थित है, जो विवादित आराजी है। बंदोवस्त सम्वत 2058 के हाल खसरा नम्बर 236 रकबा 3.79 हेक्टेयर, 237 रकबा 2.53 हैक्टेयर, 238 रकबा 63 ऐयर, 239रकबा 62 ऐयर, 240 रकबा 1.26 हैक्टेयर का साबिक नम्बर 121 मिन, 121/257, 121/258 है। जिसका बंदोवस्त सम्वत् 2020में हाल खसरा नम्बर 121 रकबा 35 बीघा साबिक खसरा नम्बर 78 रकबा 35 बीघा है। जिसकी ताईद में बंदोवस्त संशोधन भू माप सम्वत् 2013 प्रार्थना पत्र के साथ प्रमाणित नकल संलग्न कर प्रस्तुत है।

विवादित आराजी की किस्म चारागाह गैर.मु. बेहड है जो काबिल काश्त और आंवटन योग्य नही है। जिसमें ग्राम चौकी, गोहा व आस पास के ग्राम वासियान के पशु चराई करते है, जो सार्वजनिक उपयोग की आराजी है जिस पर प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। विवादित आराजी में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। यह कि दिनांक 01.12.2024 को प्रार्थीगण विवादित आराजी में पशुओं को चरा रहे थे तो अप्रार्थीगण एक राय और एक मश्वरा होकर विवादित आराजी पर आये और पशुओं को भगाने लगे। प्रार्थीगण ने उनको मना किया तो अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी को अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रय करने तथा अप्रार्थीगण 2 ला. 9 के बुजुर्ग किशोरी पुत्र छुटटन को दिनांक 01.09. 1975 को विवादित आराजी आंवटन अधिकारी द्वारा आवंटित करना बतलाया। जिस पर प्रार्थीगण ने लेण्ड रिकार्ड अलवर में आवंटन आदेश की नकल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2024 को प्रस्तुत किया जिस पर आवंटन आदेश की नकल प्राप्त नहीं हुई तथा आवंटन आदेश की पालना में दर्ज इंतकाल संख्या 62 दिनांक 19.10.1975 की नकल दिनांक 05.12.2024 को प्राप्त हुई। इंतकाल में आवंटन अधिकारी के नाम व पद अंकित नही है। प्रार्थीगण ने दिनांक 20.12.2024 को न्यायालय अति. जिला कलक्टर प्रथम अलवर मुकदमा बअनुवान जोरावरसिह बनाम सरकार से प्रोसेडिंग रजिस्टर दिनांक 01.09.1975 ग्राम खिलौरा में आवंटित आराजी की नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जहां से दिनांक 23.12.2024 को प्रोसेडिंग रजिस्टर की नकल प्रार्थीगण को प्राप्त हुई है जिससे यह उज्रदारी जानकारी की तारीख दिनांक 01.12.2024 से अंदर मियाद प्रस्तुत है। दिनांक 01.09.1975 से दिनांक 01.12.2024 तक का समय आंवटन की जानकारी प्रार्थीगण को नही होने के कारण व्यतीत हुआ है को माफ करने के लिए मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से प्रस्तुत है। उज्रदारी पेश करने में हुईदेरी को माफ किया जाये और अंदर अवधि सुमार किया जाये।

प्रोसेडिंग रजिस्टर दिनांक 01.09.1975 में ग्राम खिलौरा में किस अधिकारी द्वारा विवादित आराजी को किशोरी को आंवटित की गई थी उसका नाम व पद अंकित नही है। किशोरी पुत्र छुट्टन भूमि हीन व्यक्ति नही है। उसका आज तक आंवटित आराजी पर कब्जा नही रहा है। विवादित आराजी की किस्म गोचर (चारागाह) से बारानी में परिवर्तित नहीं हुई है और ना आंवटन अधिकारी को किस्म परिवर्तन करने का अधिकार है। गोचर आराजी में प्रार्थीगण व ग्राम वासी पशुओं को चराते है। वृक्षो के नीचे बैठकर उपयोग कर रहे है। अप्रार्थीगण विवादित आराजी से गैरकाबिज है। मात्र अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में गैर नियम आंवटन से अंकित हुआ है। चारागाह आराजी को किसी भी व्यक्ति को आंवटित

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

नही किया जा सकता। ग्राम पंचायत से विवादित आराजी को अप्रार्थीगण को आवंटन करने की मंजूरी प्राप्त नही की गई है। आंवटन हेतु उद्घोषणा जारी नही हुई है और उद्घोषणा नोटिस को सार्वजनिक स्थान पर तहसील, पटवारी हल्का, ग्राम पंचायत के कार्यालय पर चस्पा नही किया है। जिससे आवंटन निरस्तनीय है।

अन्य उजात वक्त बहस जुवानी अर्ज किये जावेगें। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उज्रदारी स्वीकार की जाकर किशोरी पुत्र छुटटन जाति चमार निवासी गोहा को आराजी हाल खसरा नम्बर 238 रकबा 63 ऐयर, 239 रकबा 62 ऐयर वाके ग्राम चोकी तहसील रामगढ जिला अलवर का आवंटन दिनांक 01.09.1975 को निरस्त किया जाये। समस्त राजस्व रिकार्ड से अप्रार्थीगण के नाम के इन्द्राज को हटाया जाकर सिवायचक चारागाह अंकित किया जाये। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये 1986 RRD page no 221, 1978 RRD NUC page no 56, 2001 RRD page no 403, 2000 RRD page no 469, 2009 RRD page no 162, 2024(2)RRT page no 719, 1985 RRD page no 750, AIROnline 2019 Raj. 602 प्रस्तुत किये गये।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान वकील द्वारा लिखित बहस एवं मौखिक बहस में कथन किया गया कि उज्रदारी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 238 रकबा 63 ऐयर, 239 रकबा 62 ऐयर साबिक खसरा नम्बर 121/257 रकबा 5 बीघा ग्राम चौकी तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित हैं, प्रार्थीगण ने उक्त आराजी को उज्रदारी प्रार्थना पत्र की पूर्ति एंव वादकारण पैदा करने के निहित उद्देश्य से खिलाफ कानून व मौका व राजस्व रिकार्ड विवादित गलत व बेजा तोर पर वर्णित किया हैं। उक्त वर्णित आराजी किसी प्रकार विवादित नही हैं।

उक्त विवादित आराजी की किस्म गैर० मु० बेहड नही हैं, बल्कि उक्त विवादित आराजी की किस्म बारानी 2 हैं, जो सिंचित एवं काबिल काश्त व आवंटन योग्य आराजी हैं। उक्त विवादित आराजी में ग्राम चौकी, गोहा व आस पास के ग्राम वासियान के पशु चराई नही करते हैं, ना ही उक्त विवादित आराजी सार्वजनिक उपयोग की आराजी हैं, ना ही उक्त विवादित आराजी पर प्रत्येक नागरिक का अधिकार हैं। प्रार्थीगण व मिन अप्रार्थी के मध्य दिनांक 01.12.2024 को विवादित आराजी मौके पर कोई घटना या वार्तालाप नही हुआ। प्रार्थीगण को समस्त तथ्यों की जानकारी आरम्भ से ही रही हैं। प्रार्थीगण ने करीब 50 साल बाद उज्रदारी प्रार्थनापत्र मिन अप्रार्थी को तंग व परेशान करने व मुकदमाबाजी में फंसाकर आर्थिक एवं मानसिक नुकसान कारित करने व विवादित आराजी में गैरकानूनी रूप से अपने अधिकार पैदा करने की नियत से पेश किया हैं। प्रार्थीगण का विवादित आराजी से कोई लेना देना नही हैं, ना किसी अन्य ग्रामवासियान का कोई लेना देना हैं। प्रार्थीगण विवादित आराजी से गैरकाबिज एवं गैरवास्ता शख्स हैं, मिन अप्रार्थी अभिलिखित काबिज काश्तकार खातेदार हैं, वर्तमान में मौके पर काबिज हैं, प्रार्थीगण ने विवादित आराजी में ना तो कभी कोई पशुओं को चराया हैं, ना वर्तमान में पशुओं को चराते हैं। प्रार्थीगण को उज्रदारी प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए मिन अप्रार्थी के खिलाफ कोई वादकारण पैदा नही होता हैं।

उक्त विवादित आराजी का आवंटन दिनांक 01.09.975 को किशोरी को भूमिहीन काश्तकार होने के नाते आवंटन की गई, तथा वक्त आवंटन समस्त विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों की पालना की गई, बाद आवंटन आवंटी किशोरी को मौके पर वास्तविक/भौतिक रूप से दखल दिया गया, तथा विवादित आराजी की किस्म वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बारानी 2 दर्ज हैं। विवादित आराजी कभी भी मौके पर चारागाह नही रही हैं, ना वर्तमान में हैं, ना ही प्रार्थीगण व ग्रामवासी ने विवादित आराजी में कभी पशुओं को चराया हैं, ना वर्तमान में चराते हैं। तथा वर्तमान में मिन अप्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में सही प्रकार खातेदारी का अंकन चला आ रहा हैं। तथा सभी तथ्यों को प्रार्थीगण ने छिपातें हुए, बिना कोई वादकारण पैदा हुए, उज्रदारी प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थी के खिलाफ अदालत श्रीमान में पेश किया हैं। अन्यथा

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

प्रार्थीगण को मिन अप्रार्थी के खिलाफ उज्ररदारी प्रार्थनापत्र पेश करने के लिए कोई वादकारण पैदा नही होता हैं।

वक्त आवंटन आवंटन अधिकारी द्वारा समस्त विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों की पालना की गई हैं। विवादित आराजी का आवंटन किसी प्रकार निरस्तनीय नंही हैं। प्रार्थीगण को मिन अप्रार्थी के खिलाफ उज्ररदारी प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान में पेश करने के लिए कोई वादकारण, बिनायदावी, बिनायमुखासमत पैदा नही होते हैं। प्रार्थीगण ने मिथ्या मनगढन्त काल्पनिक तथ्य व दिनांक अंकित करते हुयें, उज्ररदारी प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान में मिन अप्रार्थी को तंग व परेशान करने व मुकदमाबाजी में फंसाकर आर्थिक एंव मानसिक नुकसान कारित करने की नियत से पेश किया हैं, व गलत हथकण्डे अपनाकर मिन अप्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में बेजा रूप से. अधिकार पैदा करने व मिन अप्रार्थी को विवादित आराजी से वंचित करने की मंशा से पेश किया हैं। इस कारण उज्ररदारी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मौजूदा सूरत में मिन अप्रार्थी के खिलाफ चलने योग्य नहीं होने के कारण सव्यय खारिज होने योग्य हैं, खारिज फरमाया जावें। तथा मिन अप्रार्थी को प्रार्थीगण से विशेष हर्जा कम से कम 1,00,000/– रूपयें दिलाया जावें।

विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 238 रकबा 63 ऐयर, 239 रकबा 62 ऐयर ग्राम चौकी तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं। उक्त विवादित आराजी मिन अप्रार्थी ने अभिलिखित काबिज काश्तकार खातेदारान से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15/02/2024 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 844 में पृष्ठ संख्या 16 क्रम संख्या 202403125100583 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2825 के पृष्ठ संख्या 116 से 122 उप पंजीयक रामगढ जिला अलवर राजस्थान द्वारा खरीद की गई हैं, तथा प्रतिफल की राशि अदा कर मौके पर वास्तविक / भौतिक कब्जा प्राप्त किया हैं। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15/02/2024 के आधार पर नामान्तकरण बय संख्या 383 दिनांक 15–02–2024 को मिन अप्रार्थी के पक्ष में दर्ज व तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मिन अप्रार्थी के नाम खातेदारी का अंकन हो चुका हैं, वर्तमान में मिन अप्रार्थी विवादित आराजी का अभिलिखित काबिज काश्तकार खातेदार हैं, तथा बरोज खरीद से वर्तमान तक विवादित आराजी पर बहैसियत काबिज काश्तकार खातेदार काबिज रहकर कुल कार्य काश्तकारी व हर प्रकार से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं।

आराजी साबिक खसरा नम्बर 121/257 रकबा 5 बीघा जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 238 रकबा 63 ऐयर, 239 रकबा 62 ऐयर कायम हुए हैं। उक्त आराजी अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 9 के बुजुर्ग किशोरी पुत्र श्री छुटटन जाति चमार निवासी ग्राम गोहा तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान को भूमिहीन होने के नाते दिनांक 01.09.1975 को आवंटित हुई थी, तथा उक्त आवंटन आदेश की पालना में आवंटी किशोरी पुत्र छुटटन को मौके पर वास्तविक / भौतिक दखल दिया गया, तथा उक्त आवंटन आदेश की पालना में विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार आवंटी किशोरी पुत्र छुटटन के नाम नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 19.10.1975 को स्वीकार हुआ। उक्त विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार आवंटी किशोरी पुत्र छुटटन को प्राप्त हो गये तथा आवंटी किशोरी पुत्र छुटटन अपने जीवनकाल तक उक्त विवादित आराजी पर काबिज रहकर बहैसियत अभिलिखित काबिज काश्तकार खातेदार काबिज रहकर कुल कार्य काश्तकारी व हर प्रकार से उपयोग उपभोग करता रहा। तथा आवंटी किशोरी पुत्र छुटटन के मरने के बाद उसके वारिसान उक्त विवादित आराजी के अभिलिखित काबिज काश्तकार खातेदार हो गये। तथा आवंटी किशोरी पुत्र छुटटन के वारिसान ने उक्त विवादित आराजी मिन अप्रार्थी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15/02/2024 को बेचान कर दी। जिस विवादित आराजी पर मिन अप्रार्थी रतनलाल बरोज खरीद से वर्तमान तक बहैसियत अभिलिखित काबिज काश्तकार खातेदार

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

काबिज रहकर कुल कार्य काश्तकारी व हर प्रकार से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं, प्रार्थीगण विवादित आराजी से गैरकाबिज एवं गैरवास्ता हैं, जिनका कोई लेना देना विवादित आराजी से नही हैं, ना किसी अल्स ग्रामवासी का कोई लेना देना हैं।

विवादित आराजी के आवंटन को 50 वर्ष हो गए हैं, एवं उक्त विवादित आराजी की आवंटी के हक में गैरखातेदारी से खातेदारी भी हो चुकी हैं। प्रार्थीगण ने लगभग 50 वर्ष बाद उक्त आवंटन को चेलेन्ज किया हैं। प्रार्थीगण किसी भी तरह से हितबद्ध पक्षकार नही हैं। इसलिए प्रार्थीगण को उक्त आवंटन को कानूनन किसी प्रकार चेलेन्ज करने का अधिकार नही हैं। प्रार्थीगण स्वयं ग्राम चौकी के निवासी हैं, प्रार्थीगण ने 50 वर्ष बाद आवंटन की जानकारी होना बताया हैं, जो भी गलत हैं, प्रार्थीगण को विवादित आराजी के आवंटन व बेचान की जानकारी आरम्भ से ही रही हैं। आवंटित आराजी खसरा नम्बर साबिक 121 रकबा 35 बीघा का था, जो काफी व्यक्तियों को आवंटित हुआ था। लेकिन प्रार्थीगण ने सिर्फ मिन अप्रार्थी द्वारा खरीद की गई, आराजी के बारे में ही उज्ररदारी प्रार्थनापत्र पेश किया हैं, जो कि प्रार्थीगण की बदयान्ति प्रदर्शित होती हैं।

कानूनी रूप से किसी भी आराजी के आवंटन के बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर उसका आवंटन निरस्त नही किया जा सकता हैं। प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी सन 2024 (2) पेज 1372 का अवलोकन किया जावें। मिन अप्रार्थी रतनलाल ने उक्त विवादित आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खरीद की गई हैं। इसलिए जब तक पंजीकृत विक्रय पत्र किसी सक्षम अदालत द्वारा निरस्त नही किया जा सकता हैं, तब तक आवंटन निरस्त नही किया जा सकता हैं। प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी सन 2022–2023 (एसयूपीपी) पेज 420 का अवलोकन किया जावें। उक्त आवंटन को लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए इतने समय बाद आवंटन को निरस्त करना न्यायोचित नही हैं। प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी सन 2023 (1) पेज 560 का अवलोकन किया जावें। किसी भी आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद कानूनन आवंटन निरस्त नही किया जा सकता हैं। प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी सन 2023 (2) पेज 1218 का अवलोकन किया जावें।

उक्त विवादित आराजी को लेकर प्रार्थीगण की मंशा अवैद्य कब्जा करने की रही हैं, इसलिए प्रार्थीगण ने उक्त विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करने की नियत से मिन अप्रार्थी रतनलाल व मेरे परिवारजन पर कृषि कार्य करते समय अवैद्य हथियारो से लैस होकर जानलेवा हमला किया। जिस दिनांक घटना की प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या 61 23/02/2025 को पुलिस थाना रामगढ जिला अलवर राजस्थान में गम्भीर आपराधिक धाराओं में दर्ज हुई हैं, एवं उक्त मुकदमा में मुलजिमान की गिरफतारी भी हुई हैं। प्रार्थीगण को मिन अप्रार्थी के खिलाफ उज्ररदारी प्रार्थनापत्र पेश करने के लिए कोई वादकारण पैदा नही होता हैं। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थी के खिलाफ कोई अनुतोंष प्राप्त करने के नैतिक एंव विधिक रूप से अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण का उज्ररदारी प्रार्थनापत्र मौजूदा सूरत में मिन अप्रार्थी के खिलाफ पोशनीय न होकर सव्यय खारिज किये जाने योग्य हैं। खारिज फरमाया जावें। प्रार्थीगण ने बिना कोई वादकारण पैदा हुए, उज्ररदारी प्रार्थनापत्र मिन अप्रार्थी को तंग व परेशान करने व मुकदमाबाजी में फंसाकर आर्थिक एवं मानसिक नुकसान कारित करने की नियत से दायर किया गया हैं। मिन अप्रार्थी वर्तमान में विवादित आराजी पर मौके पर काबिज हैं, तथा अभिलिखित काबिज काश्तकार खातेदार हैं। प्रार्थीगण गैरकाबिज एवं गैरवास्ता हैं। प्रार्थीगण का उज्ररदारी प्रार्थनापत्र मिन अप्रार्थी के खिलाफ पोशनीय न होकर सव्यय खारिज किये जाने योग्य हैं, खारिज फरमाया जावें। उक्त प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त संलग्न हैं।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, राजस्व रिकॉर्ड तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस का गम्भीरतापूर्वक मनन व परिशीलन किया गया। विवादित भूमि का आवंटन दिनांक 01.09.1975 को हुआ था। राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि हाल खसरा नंबर 238 व 239 की किस्म 'बारानी–2 दर्ज है, न कि चारागाह। आवंटी किशोरी के हक में आवंटन उपरांत नामान्तकरण वर्ष 1975 खुल चुका है और उसे इस भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। तहसीलदार रामगढ द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार भी आवंटी गैर खातेदार की मृत्यु पश्चात् जर्ये नामान्तकरण संख्या 83 दिनांक 19.04.1981 के द्वारा उक्त भूमि इनके वारिसान के नाम दर्ज हुई तथा आवंटी गैर खातेदार के वारिसान के द्वारा जर्ये नामा0 संख्या 169 दिनांक 26.11.2012 से खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये है। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अनुसार गैर खातेदार आवंटी के द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने पर लागू होता है, खातेदारी भूमि पर नहीं। चूंकि, वाद में वर्णित आराजी खातेदारी भूमि है। अप्रार्थी संख्या 01 (रतनलाल) ने उक्त भूमि को आवंटी के विधिक वारिसान से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.02.2024 को क्रय किया है। अप्रार्थी संख्या 01 एक सद्भावी क्रेता है और उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण भी दर्ज हो चुका है। RRT 2022–2023 (SUPP) Page 420 तथा RRT 2024 (2) Page 1372 के अनुसार, जहाँ खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके हों और पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से तृतीय पक्ष के अधिकार उत्पन्न हो गए हों, वहाँ भू–राजस्व अधिनियम के नियम 14(4) के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण यह साबित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं कि वे इस भूमि के संबंध में किस प्रकार हितबद्ध पक्षकार हैं। प्रार्थीगण द्वारा 35 बीघा के सम्पूर्ण आवंटन में से केवल उसी भूमि को चुनौती देना जो अप्रार्थी रतनलाल द्वारा क्रय की गई है, प्रार्थीगण की दुर्भावना को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, प्रार्थीगण के विरुद्ध दर्ज FIR सं. 61/2025 यह इंगित करती है कि प्रार्थीगण का उद्देश्य वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना नहीं, बल्कि क्रेता को डरा–धमका कर अनावश्यक विवाद खड़ा करना है। अतः, अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क पूर्णतः विधिक, तथ्यपरक और न्यायसंगत हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन है और इसमें कोई विधिक सार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उज्रदारी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम–14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970, स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उज्रदारी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम–14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970, पोषणीय न होने तथा आधारहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। विवादित भूमि के संबंध में आवंटन अधिकारी रामगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.1975 तथा उसके क्रम में अप्रार्थी रतनलाल के पक्ष में दर्ज नामान्तकरण यथावत व वैध घोषित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्विका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर,
राजस्थान

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)